आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :लालगंज
वाद संख्या :-01851/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202015060401851
सुधीर बनाम गांवसभा आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद सुधीर कुमार पुत्र रामहर्ष सा0 हैबतपुरडुभाव परगना देवगॉव तहसील लालगंज आजमगढ़ द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 80 रा0सं0 2006 बाबत आ0नं0 427 रकबा 2.035 हे0में से रकबा 0.610हे0 स्थित मौजा नौरसिया परगना देवगॉव दाखिल हुआ। पत्रावली पर तहसीलदार लालगंज से जॉचकर आख्या मंगाई गई। तहसीदार लालगंज द्वारा मौके की जॉचकर अपनी जॉच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा अपनी जॉच आख्या दि0 27/02/2020 में उल्लेख किया गया कि आ0नं0 427 रकबा 2.035हे0 पर वादी सुधीर आदि के नाम संक्रमणीय भुमिधर अंकित है।जिसमें वादी सुधीर कुमार व सुनीलकुमार नि0 हैबतपुरडुभाव का नाम बैनामा के आधार पर रकबा 0.884 पर नाम दर्ज है। वादी द्वारा रकबा 0.610 हे0 में विद्यालय का भवन बना हुआ है एवं रकबा 0.460हे0 खेल के मैदान के रुप में उपयोग किया जाता है। जिसके कारण मौके पर विवादित भूमि जोती बोई नहीं जाती है। इस प्रकार आ0नं0 को अकृषिक भूमि व लगान मुक्त घोषित किए जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय में प्रेषित की गई। एवं वादी की तरफ से खातेदार रामाश्रे का शपथपत्र जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया जिसमें अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु अनापत्ति होने का उल्लेख किया गया है।

पत्रावली पंजीकृत की गई तथा वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क व उद्‌घोषण शुल्क मु0 33550 रु0 व मु0 33550रु0 का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ0ने0 वादी की सहसंक्रमणीय भूमिधरी है। खतौनी में आ0 ने0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है किन्तु मौके पर वादी द्वारा रकबा 0.610 हे0 पर विद्यालय का भवन व खेल का मैदान के रुप में प्रयोग किया जा रहा है। आ0ने0 में रकबा 0.610हे0 मौके पर जोती बोई नहीं जाती है बल्कि मौके पर विद्यालय व खेल के मैदान के रुप में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ0ने0 में रकबा 0.610हे0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार की जाती है। ग्राम नौरसिया परगना देवगॉव के वर्तमान खतौनी में आ0नं0 427मि0 रकबा 0.610हे0 लगान मु0 4.48रु0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नहीं होगा। वाद अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

01/09/2020

(पंकजकुमार श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी
लालगंज आजमगढ़।

न्यायालय–उप जिलाधिकारी लालगंज, आजमगढ़।

वाद संख्या टी 202015060401851 /अन्तर्गत धारा 80उ0प्र0रा0संहिता

सुधीर मौजा–नौरसिया–पर0–देवगॉव

बनाम तहसील–लालगंज, जिला–आजमगढ़।

गॉव सभा आदि ता0फैसला–01.09.2020

परवाना–अमलदरामद

तहसीलदार–लालगंज

उपरोक्त वाद में पारित आदेश दिनांक–01.09.2020के ग्राम नौरसिया–परगना–देवगॉव बर्तमान खतौनी में आ0नं0427मि0 रकबा 0.610हे0 मा04.48रू0को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नहीं होगा। वाद अमलदरामद की एक प्रति नकल खतौनी के साथ वापस हो।

उप जिलाधिकारी लालगंज,
आजमगढ़।